कम्प्यूटर नं०परिपत्र - 1415050 दिनांक 22-07-2014

पत्र संख्या - विधि-4(1)-अधिनियम/नियमावलीसंशोधन भाग-8(14-15) / 508 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर

(विधि-अनुभाग)

उत्तर प्रदेश

लखनऊ ::दिनांक : 22 ,जुलाई,2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)

वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

शासन द्वारा **अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-697/ग्यारह-9(258)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(115)-2014 दिनांक 10 जुलाई, 2014 जारी करते हुए** सर्वश्री मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबिल प्रा0लि0 गाजियाबाद द्वारा नियुक्त बूथ कन्शेसनरीज द्वारा प्रान्त के भीतर की गयी माल की बिक्री के आवर्त पर कर संदेय न होने के सशर्त आदेश निर्गत किये गये हैं । इस अधिसूचना की शर्त संख्या-4 के अनुसार यह प्राविधानित है कि -

" बूथ कन्शेसनरीज द्वारा नियमानुसार कर विवरणी दाखिल की जायेगी तथा कर विवरणी के साथ माल के अधिकतम फुटकर मूल्य (एम0आर0पी0) पर कर का भुगतान किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र कमिश्नर द्वारा यथा निर्धारित प्रपत्र में सर्वश्री मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबिल प्रा0लि0, गाजियाबाद से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायेगा । "

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में फार्म -ज (Form-G) संलग्न प्रारुप में अवधारित किया जाता है । यह फार्म आन लाइन ही विभागीय वेबसाइट से जारी किया जाएगा । इसका क्रमांक कम्प्यूटर जनित 14 डिजिट का होगा । जारीकर्ता फर्म द्वारा इसकी दो प्रतियाँ क्रेता बूथ कन्शेसनरी को निर्गत की जायेगी तथा एक प्रति अपने अभिलेख पर रखी जायेगी । बूथ कन्शेसनरी द्वारा उक्त प्रमाण पत्र की एक प्रति अपने संबंधित कर निर्धारण कार्यालय में संगत कर अवधि की रिटर्न के साथ प्रस्तुत की जायेगी तथा एक प्रति अपने अभिलेख पर रखी जायेगी ।

उपर्युक्त के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

संलग्नक उपरोक्तानुसार ।

22.7.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) माननीय अध्यक्ष,उ0प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ0प्र0 शासन ,लखनऊ ।

(2)प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।

(3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।

(4) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)

(5) अध्यक्षा/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0 ।

(6) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

(7) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।

(8) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश ।

(9) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।